न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **07/2022** दायर दिनाँक **03.01.2022**

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलादीन खां पुत्र निजामुदीन जाति मीर उम्र 72 वर्ष निवासी सुद्रासन, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नानू खां पुत्र निजामुदीन 2. फतुल पुत्री निजामुदीन 3. रणजीत खां पुत्र फुलेखां 4. मुस्ताक खां पुत्र फुले खां 5. रहमत बानो पत्नि फुले खां 6. ताज बानो पुत्री फुले खां 7. रहिसा बानो पुत्री फुले खां 8. मुन्नी बानो पुत्री फुले खां 9. हासम खां पुत्र भुरे खां समस्त जाति मीर निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अशोक भाकर वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **14.02.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 280 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 283 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद पायली पटवार हल्का सुद्रासन में अवस्थित है।

यह है कि उक्त जायगा वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 की पैतृक है। जिस पर वादी के पिता निजामुदीन का कब्जा काश्त रहा व उसके प्श्चात निजामुदीन के वारिसान का कब्जा काश्त रहा। जो निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

यह है कि भुरे खां के चार लड़के थे, जिनमें से इस्माईल व सेब्दी खां ना—औलाद फौत हो गये। जिनके कोई विधिक वारिसान पीछे नही व हासम खां अपने बाल्यावस्था में ही गांव छोड़कर चले गये। जिनका 60 साल से कोई खैर खबर नही है व उपरोक्त वर्णित जाया का भोग उपयोग वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ही करते आ रहे है व इनके ही कब्जे काश्त की रही है।

यह है राजस्व रिकॉर्ड में हासम खां, ईस्माईल खां व सेब्दी खां का नाम दर्ज है। जिनका भौतिक व वास्तविक रूप से कोई अस्तित्व नही है। इसलिए उक्त वाद रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है। जिनमें उक्त खसरा सं0 की भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के नाम घोषित की जावें व [illegible] खां के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें।

प्रार्थना वादी निम्नानुसार है :—

यह है कि खेसरा [illegible] सं0 283 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा [illegible] बिस्वा वाकै शरहद पायली पटवार हल्का सुद्रासन में से ईस्माईल खां, सेब्दी खां व हासम खां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का नाम राजस्व रेकर्ड में घोषित कर उसी अनुरूप अमल दरामद करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:12:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 09 व 10 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै पायली खेत खसरा सं0 280 रकबा 01 बीघा व खसरा सं0 283 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 ने नाम घोषित की जाती है व उक्त खसरान की भूमि में से ईस्माईल खां, सेब्दी खां व हासम खां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.02.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:12:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 07/2022 दायर दिनाँक 03.01.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलादीन खां पुत्र निजामुदीन जाति मीर उम्र 72 वर्ष निवासी सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नानू खां पुत्र निजामुदीन 2. फतुल पुत्री निजामुदीन 3. रणजीत खां पुत्र फुलेखां 4. मुस्ताक खां पुत्र फुले खां 5. रहमत बानो पत्नि फुले खां 6. ताज बानो पुत्री फुले खां 7. रहिसा बानो पुत्री फुले खां 8. मुन्नी बानो पुत्री फुले खां 9. हासम खां पुत्र भुरे खां समस्त जाति मीर निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 14.02.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक भाकर वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै पायली खेत खसरा सं0 280 रकबा 01 बीघा व खसरा सं0 283 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 ने नाम घोषित की जाती है व उक्त खसरान की भूमि में से ईस्माईल खां, सेब्दी खां व हासम खां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.02.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर,
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:12:59 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner